

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर  
जिला हनुमानगढ़

नन्दलाल सहारण आदि

बनाम

स्टेट

किस्म मुकदमा : 136 LRA

प्रकरण संख्या 200/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
05.06.2026	<p>प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के नाम रोही मौजा 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 67/66, रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी-ए के खाता संख्या 104/8, रोही मौजा 20 आर डब्ल्यूडी-बी के खाता संख्या 139/136, 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 65/65 , रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 272/6 व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 721/721 में नन्दलाल पुत्र राजेराम, सतवीर पुत्र राजेराम व सावित्री देवी पत्नि राजेराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुए है प्रार्थीगण के सही व वास्तविक नाम नन्द लाल सहारण पुत्र रजी राम सहारण, सतवीर पुत्र रजी राम व सावित्री पत्नी रजीराम है जो कि प्रार्थीगण के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम नन्दलाल पुत्र राजेराम, सतवीर पुत्र राजेराम व सावित्री देवी पत्नि राजेराम के स्थान पर नन्द लाल सहारण पुत्र रजी राम सहारण, सतवीर पुत्र रजी राम व सावित्री पत्नी रजीराम दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।</p> <p>तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम नन्दलाल पुत्र राजेराम, सतवीर पुत्र राजेराम व सावित्री देवी पत्नि राजेराम के स्थान पर नन्द लाल सहारण पुत्र रजी राम सहारण, सतवीर पुत्र रजी राम व सावित्री पत्नी रजीराम किया जाना उचित है की अनुशंषा की है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम नन्दलाल पुत्र राजेराम, सतवीर पुत्र राजेराम व सावित्री देवी पत्नि राजेराम दर्ज है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों आधार कार्ड में प्रार्थीगण का नाम नन्द लाल सहारण पुत्र रजी राम सहारण, सतवीर पुत्र रजी राम व सावित्री पत्नी रजीराम दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थीगण का नाम सही करने हेतु अनुशंषा की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।</p> <p>प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का नाम रोही मौजा रोही मौजा 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 67/66, रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी-ए के खाता संख्या 104/8, रोही मौजा 20 आर डब्ल्यूडी-बी के खाता संख्या 139/136, 16 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 65/65 , रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 272/6 व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 721/721 में नन्दलाल पुत्र राजेराम, सतवीर पुत्र राजेराम व सावित्री देवी पत्नि राजेराम के स्थान पर नन्द लाल सहारण पुत्र रजी राम सहारण, सतवीर पुत्र रजी राम व सावित्री पत्नी रजीराम का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हों।</p>	

*Zabul*

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)